

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि०/रो०/ऋण/3-13/20---2019-20

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत नालन्दा जिला के स्वीकृत्यादेश संख्या-2167 दिनांक-30.06.2022 के क्रमांक-1 पर अंकित जेनरल स्टोर ट्रेड के लिए 1,00,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। बैंक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बैंक खाता बंद रहने के कारण राशि खाते में अंतरित नहीं हो सका। ऋणार्थी के द्वारा बैंक में नया खाता खोल लिया गया है, नये पासबुक की छायाप्रति जमा की गई है, जिसमें नया बैंक अकाउंट नम्बर के साथ आई०एफ०एस०सी मौजूद है। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	चयन सूची क्र०	Appl_Name / F/H_Name & Address	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	नया खाता संख्या एवं नया आई०एफ०एस०सी	Less 0.5% + Imboss Processing Charge	Net Payable Amount
1.	2	MD SAHIL, S/o- MD SALIM, Vill.-ANDHANA, Block + PS- NOORSARAI, PO-ANDHANA, Distt.-NALANDA-803113, Mob-8258512242	A/c No.:- 2086000100138180 PUNB0208600	A/c No.:- 2086000100145791, PUNB0208600	500 + 2030 = 2530	97470
				TOTAL	1,00,000	2,530
						97,470

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

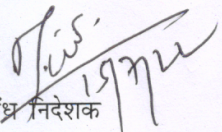
उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:----- 2371

दिनांक:----- 15-7-22

प्रतिलिपि:- ऋणधारक/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को
सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस/ई-मेल भेजने हेतु सूची प्रेषित।


प्रबंध निदेशक